"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 269] रायपुर, बुधवार, दिनांक 6 अक्टूबर 2010—आश्विन 14, शक 1932

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 अक्टूबर 2010

अधिसूचना

क्रमांक बी-1-18/2010/एक/4.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा (वर्गीकरण, भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1975 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 21-ग के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"21-ग राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिसमय वेतनमान में नियुक्ति के लिये पात्रता की शर्तें, इत्यादि :—

(1) राज्य प्रशासनिक सेवा के केवल ऐसे अधिकारी अधिसमय वेतनमान में नियुक्ति के लिये विचारण हेतु पात्र होंगे, जिन्होंने सेवा के सदस्य के रूप में उस वर्ष की पहली जनवरी को 23 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान में कार्यरत हो.

टिप्पणी :— अर्हता सेवा हेतु संगणना की रीति— संबंधित वर्ष जिसमें विभागीय चयन समिति की बैठक आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की अवधि की गणना, उस कैलेण्डर वर्ष से की जायेगी, जिसमें राज्य प्रशासनिक सेवा का सदस्य, कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान में नियुक्त किया गया है और कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान में नियुक्त होने की वास्तविक तारीख से नहीं.

(2) राज्य प्रशासनिक सेवा के पात्र अधिकारियों के, सेवा के अधिसमय वेतनमान में नियुक्ति के लिए चयन किए जाने हेतु एक समिति होगी जिसके द्वारा विचार किया जाएगा जिसमें अनुसूची-चार में उल्लिखित सदस्य समाविष्ट होंगे.

(3) चयन वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर किया जाएगा."

2. अनुसूची-एक के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात् :—

"अनुसूची-एक
(नियम 5 देखिये)

(छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा)

विभाग का नाम	सेवा के लिए स्वीकृत वेतन बैंड के प्रवर्गों का विवरण	वेतन बैण्ड	प्रत्येक वेतनमान में स्वीकृत स्थायी पदों की संख्या	वर्गीकरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सामान्य प्रशासन विभाग	(1) कनिष्ठ वेतनमान	15600-39100+5400 ग्रेड वेतन	142	द्वितीय श्रेणी
	(2) वरिष्ठ वेतनमान	15600-39100+6600 ग्रेड वेतन	74	प्रथम श्रेणी
	(3) प्रवर श्रेणी	15600-39100+7600 ग्रेड वेतन	53	प्रथम श्रेणी
	(4) वरिष्ठ प्रवर श्रेणी	37400-67000+8700 ग्रेड वेतन	18	प्रथम श्रेणी
	(5) अधिसमय वेतनमान	37400-67000+8900 ग्रेड वेतन	09	प्रथम श्रेणी"

3. अनुसूची-दो-क के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात् :—

"अनुसूची-दो-क
(नियम 6 देखिये)

(छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा)

विभाग का नाम	सेवा में स्वीकृत पदों की कुल संख्या	कालम (2) में दर्शित भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत		टिप्पणियां
		सीधी भर्ती	पदोन्नति से	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सामान्य प्रशासन विभाग	296	50%	50%	राज्य प्रशासनिक सेवा में कनिष्ठ वेतनमान में पदोन्नति, तहसीलदार/अधीक्षक, भू-अभिलेख की श्रेणी से की जाएगी. इन पदों में से 04 पद पात्र तथा उपयुक्त व्यक्तियों की उपलब्धता के अध्यधीन रहते हुए आयुक्तों तथा कलेक्टरों के कार्यालय के अधीक्षकों के लिए आरक्षित रहेंगे."

4. अनुसूची-दो-ख के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात् :—

"अनुसूची-दो-ख
(नियम 6 देखिये)

(छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा)

विभाग का नाम	राज्य प्रशासनिक सेवा में स्वीकृत पदों की कुल संख्या	वेतन बैंड का नाम तथा ग्रेड वेतन जिससे नियुक्ति (क्रमोन्नति) की जाना है	वेतन बैंड का नाम तथा ग्रेड वेतन जिस पर नियुक्ति (क्रमोन्नति) दी जाना है	वर्ष की एक जनवरी को उच्चतर वेतनमान के लिए अपेक्षित अर्हित सेवा का अनुभव	नियत प्रतिशत तथा अधिकतम पदों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सामान्य प्रशासन विभाग	296	1. कनिष्ठ वेतनमान 15600-39100+5400 ग्रेड वेतन	वरिष्ठ वेतनमान 15600-39100+6600 ग्रेड वेतन	नियम-21 अनुसार	संवर्ग में स्वीकृत कुल पदों का 25% अर्थात् 74
		2. वरिष्ठ वेतनमान 15600-39100+6600 ग्रेड वेतन	प्रवर श्रेणी 15600-39100+7600 ग्रेड वेतन	नियम-21-क अनुसार	संवर्ग में स्वीकृत कुल पदों का 18% अर्थात् 53
		3. प्रवर श्रेणी वेतन बैंड 15600-39100+7600 ग्रेड वेतन	वरिष्ठ प्रवर श्रेणी 37400-67000+8700 ग्रेड वेतन	नियम-21-ख अनुसार	संवर्ग में स्वीकृत कुल पदों का 6% अर्थात् 18
		4. वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतन बैंड 37400-67000-8700 ग्रेड वेतन	अधिसमय वेतनमान 37400-67000+8900 ग्रेड वेतन	नियम-21-ग अनुसार	संवर्ग में स्वीकृत कुल पदों का 3% अर्थात् 9

टीप :— कनिष्ठ, वरिष्ठ, प्रवर तथा वरिष्ठ प्रवर श्रेणी में कार्यरत अधिकारियों की कुल संख्या. संवर्ग में स्वीकृत कुल पदों से अधिक नहीं होगी."

5. यह संशोधन 1 जनवरी, 2010 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 6 अक्टूबर 2010

क्र. बी-1-18/2010/एक/4.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की दिनांक 06-10-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, उप-सचिव.

Raipur, the 6th October, 2010

NOTIFICATION

No. B-1&18/2010/1/4.—In exercise of the powers conferred by the provisio to Article 309 of the constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby makes the following further amendments in the Chhattisgarh State Administrative Service (Classification, Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1975 namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. In place of Rule 21-C the following Rule shall be substituted, namely :—

"21-C Condition of eligibility for appointment in Super Time Scale of State Administative Service, etc :—

(1) Only such officer of the State Administrative Service shall be eligible for consideration to apointment in Super Time Scale who has completed the 23 year's service on the 1st January of the year and working in senior selection grade pay scale.

Note :— Method of Computation for qualifying service :— The calculation of the period of qualifying service as on the 1st January in which the Departmental Selection Committee is called for meeting is computed from the calendar year when the member of State Administrative Services appointed in the junior grade pay scale and not from the real date of appointment in the junior grade pay scale.

(2) For selection appointment in Super Time Scale of service of eligible officers of State Administrative Services shall be considered by a committee consisting mentioned in schedule-IV.

(3) Selection shall be made on the basis of seniority-cum-merit".

2. For schedule-I, the following schedule shall be substituted, namely :—

"SCHEDULE-I
(See Rule 5)

(Chhattisgarh State Administrative Service)

Name of the Department (1)	Description of categories of pay band Sanctioned for the service (2)	Pay band (3)	Number of Permanent posts sanctioned in each scale (4)	Classification (5)
General Administration Department	1. Junior Scale	15600-39100+5400 Grade Pay	142	Class-II
	2. Senior Scale	15600-39100+6600 Grade Pay	74	Class-I
	3. Selection Grade	15600-39100+7600 Grade Pay	53	Class-I
	4. Senior Selection Grade	37400-67000+8700 Grade Pay	18	Class-I
	5. Super Time Scale	37400-67000+8900 Grade Pay	09	Class-I"

3. For schedule-II-A, the following schedule shall be substituted, namely :—

"SCHEDULE-II-A
(See Rule 6)

(Chhattisgarh State Administrative Service)

Name of the Department	Total number of posts sanctioned in service	Percentage of posts shown in column (2) to be filled in by		Remarks
		Direct Recruitment	From Promotion	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
General Administration Department	296	50%	50%	Promotion to the junior scale in the State Administrative Service will be from Tehsildar/Superinteneent Land Records category (out of these posts 04 post will be reserved for the Superintendents of the office of Commissioners & Collectors subject to the availability of eligible and suitable persons.)"

3. For schedule-II-B, the following schedule shall be substituted, namely :—

"SCHEDULE-II-B
(See Rule 6)

(Chhattisgarh State Administrative Service)

Name of the Department	Total number of posts sanctioned in SAS	The Name of the Pay band and the Grade Pay From which appointment (Kromonnati) is to be given.	The Name of the Pay band and the Grade Pay to which appointment (Kromonnati) is to be given	The requisite qualifiying service experience on 1st January of the year for higher scale	Fixed percentage and maximum number of posts
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
General Administration Department	296	1. Junior Scale 15600-39100+ 5400 Geade pay	Senior Scale 15600-39100+6600 Grade Pay	As per rule 21	25% of total posts sanctioned in Cadre i.e. 74 posts
		2. Senior Scale 15600-39100+ 6600 Geade pay	Selection Grade 15600-39100+7600 Grade Pay	As per rule 21-A	18% of total posts sanctioned in Cadre i.e. 53 posts
		5. Selection Grade 15600-39100+ 7600 Geade pay	Senior Selection Grade 37400-67000+ 8700 Grade Pay	As per rule 21-B	6% of total posts sanctioned in Cadre i.e. 18 posts

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		4. Senior Selection Grade 37400-67000+ 8700 Geade pay	Super Time Scale Pay band 37400-67000+ 8900 Grade Pay	As per rule 21-C	3% of total posts sanctioned in Cadre i.e. 9 posts

Note :— The Total number of officers working in Junior, Senior, Selection and Senior selection grade shall not exceed the total posts sanctioned in the Cadre."

5. This amendment shall be deemed to have come into force with effect from the 1st January, 2010.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. K. BAJPAI, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.